

नौवहन आतंकवाद देश के लिए खतरा : राजनाथ

मुंबई, 16 जून (भाषा)। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरवार को कहा कि नौवहन आतंकवाद एक बड़ा खतरा है जिसका व्यापक आर्थिक प्रभाव है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी बड़े व छोटे बंदरगाहों का सुरक्षा आडिट करा रही है ताकि तटीय सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित बिंदुओं को पहचान की जा सके।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, ‘हमारे तटों की कमजोरी 1993 में सामने आई थी जब विस्फोटक तस्करी करके रायगढ़ ले जाए गए थे और उसके बाद 2008 में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था।’ उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वे तटीय सुरक्षा की समीक्षा संबंधी एक बैठक में यहाँ आए हैं। उन्होंने आगे ट्वीट किया, ‘हमें अपनी तटीय सुरक्षा को चुस्त-दुरुस्त और अभेद्य बनाने की जरूरत है।’ राजनाथ सिंह ने बैठक में कहा, ‘नौवहन आतंकवाद एक बड़ा खतरा है, जिसका व्यापक आर्थिक प्रभाव है।’ उन्होंने कहा कि मुंबई पर 2008 में 26:11 आतंकी हमले के बाद तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में कई पहल की गई है। गृह मंत्री ने आगे ट्वीट किया, ‘हम रडार व स्वचालित पहचान प्रणाली (एआइएस)

रिसीवर की श्रृंखला लगा रहे हैं ताकि भारतीय तटीय रेखा को सुरक्षित बनाया जा सके।’ तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएसए) का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा, ‘सीएसएस 1 और 2 की सफलता के बाद हम सीएसएस 3 के लिए संकल्पना पत्र तैयार कर रहे हैं। हम सीएसएस 3 के लिए आपके विचार चाहते हैं।’ राजनाथ ने यह भी कहा, ‘हमारे तटीय सुरक्षा के कमजोर

- सरकार सभी बड़े व छोटे बंदरगाहों का करा रही सुरक्षा आडिट

बिंदुओं की पहचान के लिए हम सभी बड़े और छोटे बंदरगाहों की सुरक्षा आडिट करा रहे हैं।’

उन्होंने कहा कि भारतीय तटरक्षक सामुदायिक संवाद कार्यक्रम के जरिए मछुआरा समुदाय को जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। नौ तटीय राज्यों : पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात और चार केंद्र शासित प्रदेशों (दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और अंडमन एवं निकोबार द्वीप समूह), अंतर राज्य परिषद सचिवालय

(आइएससीएसए), भारत के महापंजीयक, रक्षा मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी व मत्स्य विभाग और भारतीय तटरक्षक इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं।

बैठक के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जय सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में बताया जिसमें मछली पकड़ने की नौकाओं में रंगीन कोडिंग, मछुआरों को बायोमेट्रिक कार्ड जारी करना और सामुदायिक निगरानी जैसी पहल शामिल है। उन्होंने सुझाव दिया कि समुद्री निगरानी एक विशेषज्ञ कार्य है, ऐसे में समुद्र तटों, बंदरगाहों और महत्त्वपूर्ण संस्थाओं की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय समुद्री पुलिस बल सृजित किया जाना चाहिए। फडणवीस ने इस बात पर जोर दिया कि चूकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने सागरमाला जैसी परियोजना के जरिए बंदरगाह आधारित विकास पर जोर दिया है। सागरमाला जैसी परियोजना के जरिए तटीय सुरक्षा को अगले स्तर तक ले जाने की बात कही गई है। फडणवीस ने कहा कि सभी छोटे बंदरगाह और समुद्री पोतों को प्रौद्योगिकी आधारित और निगरानी के दायरे में लाया जाना चाहिए।

गुलबर्ग सोसाइटी मामले में आज सुनाई जाएगी सजा

अमदाबाद, 16 जून (भाषा)। एक विशेष एसआइटी अदालत गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले में 24 दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनाएगी। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या कर दी गई थी।

विशेष अदालत के न्यायाधीश पीबी देसाई ने अभियोजन, बचाव पक्ष के साथ-साथ पीड़ितों के वकील ने दलीलें पूरी होने के बाद यहां सोमवार को घोषणा की थी कि सजा शुक्रवार को सुनाई जाएगी। इससे पहले दो जून को अदालत ने हत्या और अन्य अपराधों के लिए 11 लोगों को दोषी ठहराया था जबकि विधिप नेता अतुल वैद्य सहित 13 अन्य हल्के अपराधों के तहत दोषी ठहराए गए थे। अदालत ने इस मामले में 36 अन्य को बरी कर दिया था। बड़े अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लोगों में मुख्य आरोपियों में एक कैलाश धोबी भी शामिल है, जिसने 13 जून को अदालत में आत्मसमर्पण किया जब न्यायाधीश ने सजा सुनाने पर सुनवाई पूरी कर ली। उसे 2002 में गिरफ्तार किया गया था और इस साल फरवरी में अस्थायी जमानत पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआइटी के प्रतिनिधित्व कर रहे लोक अभियोजक आर सी कोडेकर ने अदालत से कहा कि 24 दोषियों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास से कम सजा नहीं सुनाई जानी चाहिए। पीड़ितों के वकील एसएम वीरा ने दलील दी कि प्रत्येक अपराध के लिए सजा साथ-साथ नहीं चलनी चाहिए, जिससे वे पूरा जीवन जेल में बिताएं। आरोपी अजय भारद्वाज के वकील ने मृत्युदंड या आजीवन कारावास से बचाए की अपनी दलीलों में यह कहते हुए विरोध किया घटना स्वतः थी और इसके लिए पर्याप्त उकसावा था। गुलबर्ग सोसाइटी मामला यहां 28 फरवरी 2002 को हुआ था। उस वक्त नरेंद्र मोदी क़रीब के मुख्यमंत्री थे। इसने पूरे देश को दहला दिया था क्योंकि करीबन 400 लोगों की उा भीड़ ने अहमदाबाद के केंद्र में स्थित सोसाइटी पर हमला किया था और जाफरी समेत निवासियों की हत्या कर दी थी।

व्यापारी की गोली मार कर हत्या

भागलपुर 16 जून (जनसत्ता)। भागलपुर जिले में अपराधियों के हाैसले बुलंद हैं। रोजाना वे एक न एक हत्या को अंजाम दे रहे है। बुधवार देर शाम गंगापार नवगलिखा के मकंदपुर चौक पर व्यापारी राजीव कुमार साह उर्फ ललन को उसकी आफिस में घुस गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताते हैं कि दो बदमाश काले कपड़े से मुंह ढक आए और ललन से बात करते-करते उसके सीने और कनपटी पर गोली मारी।मौके पर मौजूद दो जनों ने ललन को अस्पताल पहुंचाया, जहाँ डाक्टरों ने उसे मृत कर दिया। सूचना पर नवगलिखा के एसपी पंकज कुमार सिन्हा अस्पताल आए और परिजनों से बात कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मातहत पुलिस अफसरों को जरूरी हिदायत दी।

सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा

ठाणे, 16 जून (भाषा)। ठाणे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसटी) ने मामले में ऑटो रिक्शा के मालिक और चालक को 2011 में दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिवार को संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजे के तौर पर 6.73 लाख रुपए का भुगतान करने को कहा है।

एमएसटी के सदस्य के डी वडाने ने ऑटो के मालिक महादेव महात्रे और चालक प्रद्युम्न माधवी को मृतक दिलीप तावड़े के पुत्र व उसकी 55 वर्षीय विधवा को उक्त राशि का भुगतान जनवरी 2012 से 8 फीसद व्याज के साथ करने का निर्देश दिया है। वडाने ने अपने अदालत में कहा कि आवेदनकर्ता की ओर से अधिकरण में दायर याचिका वैध नहीं है और अधिकरण बीमा कंपनी को भी मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त करता है। जनवरी 2012 में दायर अपने आवेदन में नवी मुंबई में ऐरोली के निवासी अविनाश (27) और वैजयंती तावड़े ने एमएसटी को सूचित किया था कि 62 वर्षीय पीड़ित तब एक ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और 10,000 रुपए प्रति माह आवा अर्जित कर रहा था। यह याचिका ऑटो चालक, ऑटो मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ दायर की गई थी।

अदालत ने मुआवजे का

अदालत ने मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त करता है। जनवरी 2012 में दायर अपने आवेदन में नवी मुंबई में ऐरोली के निवासी अविनाश (27) और वैजयंती तावड़े ने एमएसटी को सूचित किया था कि 62 वर्षीय पीड़ित तब एक ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और 10,000 रुपए प्रति माह आवा अर्जित कर रहा था। यह याचिका ऑटो चालक, ऑटो मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ दायर की गई थी।

अदालत ने मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त करता है। जनवरी 2012 में दायर अपने आवेदन में नवी मुंबई में ऐरोली के निवासी अविनाश (27) और वैजयंती तावड़े ने एमएसटी को सूचित किया था कि 62 वर्षीय पीड़ित तब एक ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और 10,000 रुपए प्रति माह आवा अर्जित कर रहा था। यह याचिका ऑटो चालक, ऑटो मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ दायर की गई थी।

अदालत ने मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त करता है। जनवरी 2012 में दायर अपने आवेदन में नवी मुंबई में ऐरोली के निवासी अविनाश (27) और वैजयंती तावड़े ने एमएसटी को सूचित किया था कि 62 वर्षीय पीड़ित तब एक ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और 10,000 रुपए प्रति माह आवा अर्जित कर रहा था। यह याचिका ऑटो चालक, ऑटो मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ दायर की गई थी।

क्रम सं.	ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों/गारंटियों का नाम एवं पता, ऋणा खाता सं., ऋण राशि	अचल संपत्ति का विवरण	1. मांग सूचना की तिथि 2. रु. में बकाया राशि
1.	श्री दलवीर सिंह, पुत्र श्री दया नंद तथा श्रीमती आशा रानी, पत्नी श्री दलवीर सिंह, दोनों: मकान सं. 2707, हाडसिंग बोर्ड सेक्टर 3, रोहतक, हरियाणा-124001, साथ ही दोनों: मकान सं. 2457, हाडसिंग बोर्ड, सेक्टर 3, रोहतक, हरियाणा-124001, साथ ही दोनों: एच. नं. 2855 एचआईसी हाडसिंग बोर्ड, सेक्टर 3, रोहतक 124001. श्री दलवीर सिंह, साथ ही: वी.एच पीओ केंसला, जिला रोहतक, हरियाणा- 124406 ऋण अनुबंध सं.- LBR0H00000350035 स्वीकृत ऋण राशि: रु. 2,44,000 (दो लाख चौबालीस हजार मात्र)	संपत्ति एच. नं. 2855, एचआईसी हाडसिंग बोर्ड, सेक्टर 3, रोहतक, हरियाणा-124001, मॉटींगैजर का नाम: श्री दलवीर सिंह, पुत्र श्री दयानंद	1. 17.03.2016 2. 17.03.2016 से संपूर्ण भुगतान तक 11% प्रति वर्ष की दर से आगे के ब्याज के साथ 16.03.2016 को रु. 4,32,072/- (रुपए चार लाख चत्तीस हजार बहतर मात्र)
2.	श्री प्रेम सिंह, पुत्र श्री उर्वारी सिंह तथा कान्ति देवी, दोनों: मकान सं. 65, बैक कालोनी, मलिक मार्केट, यमुना नगर, हरियाणा-135001 साथ ही दोनों: 16 (दक्षिण भाग), खसरा नं. 26/26/3, मौजा कंसपुर, तहसील जगधरी यमुना नगर, हरियाणा, साथ ही दोनों: मकान सं. 127, मौतौबाबा बैक कालोनी, मौजा कंसपुर, तहसील जगधरी, यमुना नगर, हरियाणा, साथ ही दोनों: LBYG000001135233 स्वीकृत ऋण राशि: रु. 3,75,000 (तीन लाख पचाहतर हजार मात्र)	प्लॉट नं. 16 का भाग, माप 155.55 वर्ग गजों की खसरा नं. 26/25/3, मौजा कंसिपुर, नगर पंचिका मौजा के बाहर, यमुना नगर, तहसील जगधरी, जिला यमुना नगर में शामिल है। संपत्ति को चौहद्दी इस प्रकार है:- उत्तर: 35'- प्लॉट का शेष भाग, दक्षिण: 35'- पूर्व: 50'- रोड तथा परिमाण: 40'- प्लॉट नं. 17 मॉटींगैजर का नाम: श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री उर्वारी सिंह	1. 30.10.2015 2. 30.10.2015 से संपूर्ण भुगतान तक 24% प्रति वर्ष की दर से आगे के ब्याज के साथ 29.10.2015 को रु. 13,20,526/- (रुपए तेरह लाख बीस हजार पांच सौ छब्बीस मात्र)
अनुपम, आप ऋणधारक/को तथा सह-ऋणधारक/को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई राशि का भुगतान करें, अन्यथा अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। कृपया ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार हमारी सहमति के बिना आप विक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूतियों को अंतरित करने के लिए अधिकार से वंचित हैं।	स्थान: उत्तर प्रदेश तिथि: 16.06.2016	कोटक महिन्द्रा बैंक लि. के लिए प्राधिकृत अधिकारी	

राष्ट्र

कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के विधायकों ने किया वाकआउट

श्रीनगर, 16 जून (भाषा) अनंतनाग सीट के उपचुनाव में धन-बल के कथित इस्तेमाल के विरोध में विपक्षी कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा से गुरवार को वाकआउट किया। इस सीट से मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ रही है।

कांग्रेस नेता नवांग रिगजिन जोरा ने विधानसभा अध्यक्ष कवींद्र गुप्ता को जानकारी दी कि पुलिस ने मंगलवार की शाम को अनंतनाग जिले के अशाजीपोरा में एक निजी कार को जब्त किया था और इसमें 58 लाख रुपए पाए थे। उन्होंने कहा, ‘पूछताछ के दौरान इस कार में सवार एक व्यक्ति ने अपने आप को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का कर्मचारी बताया था और कहा था कि वह अशाजीपोरा शाखा में काम करता है।’ जोरा ने दावा किया कि पुलिस ने अशाजीपोरा शाखा के प्रबंधक से संपर्क किया, जिसने पुष्टि की कि यह पैसा बैंक का था और इसे बैंक की तिजोरी में रखने के लिए ले जाया जा रहा था। उन्होंने सवाल किया, ‘नकदी की तिजोरी में रखने के लिए ले जाने के लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है। इसे सरकारी वाहन में ले जाया जाता है.... इसे रात में क्यों ले जाया जा रहा था?’ जोरा ने मांग की कि अध्यक्ष इस मामले की जांच के आदेश दें, क्योंकि ऐसा लागता है कि अनंतनाग विधानसभा सीट के लिए 22 जून को होने वाले उपचुनाव के लिए सरकार ‘वोटों को खरीदने के लिए पैसे बांट रही है।’

तिरुवनंतपुरम, 16 जून (भाषा)। जेएनयू विवाद पर केंद्र का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि भारत के खिलाफ किसी तरह की आलोचना को सहन नहीं किया जाएगा। माकपा द्वारा की गई चुनाव पश्चात हिंसा के कथित शिकारों के एक आयोजन को यहां संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जेएनयू विवाद इसलिए उभरा क्योंकि आंदोलन कर रहे छात्रों ने संसद पर हमले के मामले को मुख्य दोषी अफजल गुरू के समर्थन में नारे लगाए। उन्होंने कहा, ‘मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेएनयू मुद्दे पर भाजपा का क्या रुख है। जेएनयू परिसर में लोगों ने नारे लगाए..भारत की बर्बादी तक, जंग रहेगी, जंग रहेगी।’ प्रसाद ने कहा, ‘उन्होंने अन्य नारा लगाया, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं।’ उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या वह जानते हैं कि अफजल गुरू कौन था। अफजल संसद पर हमले के मामले का मुख्य दोषी था जो पाकिस्तान से आया था।

केंद्रीय संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, ‘अफजल

पहचान की अपील	
	सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह व्यक्ति जिसका नाम: राजेश, पुत्र: बाबुलाल, पता: वेगावाण्ड, हनुमान मंदिर, यमुना बाजार, कश्मीरी गेट, दिल्ली सड़क: 60 साल, लिंग: पुरुष, रंग: साँवला, ऊँच: 5 फुट 5 इंच, पहचानना: नीले रंग की टी-शर्ट और नंगे पैरों को दिनांक 07.06.2016 को एलएनजेपी अस्पताल, दिल्ली में मृत पाया गया।
इस संदर्भ में DDNo. 39B दिनांक 07.06.2016 थाना कश्मीरी गेट, दिल्ली में दर्ज है।	
पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी अबतक इस मृत व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस मृतक के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।	
	थाना प्रभारी थाना कश्मीरी गेट, दिल्ली फोन: 011-23968730, 8750870123
DP/6590/N/16	

रेलिगेअर एंटरप्राइजेज लिमिटेड	
पंजी. कार्यालय: डी 3, पी 3 बी, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017	
CIN: L74899DL1984PLC146935	
फोन: + 91-11-39125000, फैक्स सं. + 91-11-39126117, वेबसाइट-www.religare.com	
सदस्यों के लिए पोस्टल बैलट सूचना	
एतद्द्वारा सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक पद्धति (ई-वोटिंग) द्वारा मतदान सहित पोस्टल बैलट के माध्यम से सदस्यों को सहमित प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलट फार्म तथा पर्यवेक्षक को संबोधित स्व-पता लिखित पूर्व-प्रदत्त डाक शुल्क युक्त लिफाफे (“पोस्टल बैलट पत्र”) के साथ साधारण सभाओं पर रस्ट्रीट्यूट ऑफ फ्रेंचसीज इंस्टीट्यू ऑफ इंडिया (“आईडोएसआई”) द्वारा जारी कंपनी (पबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 एवं सेक्रेटेरियल मानक-11 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के प्रावधानों के अनुसार सूचना नीचे वर्णित प्रस्तावों की संदर्भ में शेयरधारकों की स्वीकृतित प्राप्त करने के लिए एसे सभी सदस्यों को प्रेषित कर दी गई है जिनके नाम अभिलिखित तिथि अर्थात 3 जून, 2016 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं:	
1) नान-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों के निर्गम के लिए विशेष प्रस्ताव।	
2) “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली” से “महाराष्ट्र राज्य” में कंपनी के “पंजीकृत कार्यालय से स्थापितकरण के लिए विशेष प्रस्ताव	
ई-वोटिंग सहित मतदान से संबंधित विस्तृत निर्देश एवं जानकारी के विवरण सदस्यों को भेजी गई पोस्टल बैलट पत्रों में निर्दिष्ट हैं। कंपनी ने 16 जून, 2016 को पोस्टल बैलट सूचना का प्रेषण पूरा कर लिया है।	
ई-वोटिंग सहित पोस्टल बैलट द्वारा मतदान करने की सुविधा निम्नलिखित अवधि में उपलब्ध होगी:	
मतदान की शुरुआत: 17 जून, 2016 (9.00 बजे पूर्वा, आईएसटी)	
मतदान की समाप्ति: 16 जुलाई, 2016 (5.00 बजे अप. आईएसटी)	
16 जुलाई, 2016 के 5.00 बजे अप. के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उसके बाद प्राप्त की गई किसी भी पोस्टल बैलट प्रपत्र के संदर्भ में पूरी तरह से यह माना जाएगा कि सदस्यों से उनका बचाव प्राप्त ही नहीं हुआ है।	
‘https://evoting.karvy.com’ द्वारा ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से सेबी (सूचीयत दलित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुपालन में इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए ई-वोटिंग सुविधा का प्राधान्य करने के लिए कंपनी ने कार्बी कन्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।	
रचयत् तथा पारदर्शी प्रक्रिया में पोस्टल बैलट का संचालन करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री संजय प्रोवल, कार्यरत कंपनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पोस्टल बैलट के परिणामों की घोषणा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अर्थात डी 3, पी 3 बी, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली- 110017 में सोमवार, 18 जुलाई, 2016 को 4 बजे अप. में अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाएगी। इन परिणामों को कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.religare.com एवं एंजंसी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी प्रकाशित किया जाएगा तथा साथ ही उसकी सूचना उन स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जाएगी जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। जिन सदस्यों को पोस्टल बैलट प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ हो अथवा जिन्हें पोस्टल बैलट प्रपत्र ई-मेल से प्राप्त हो तथा वे भौतिक पोस्टल बैलट प्रपत्र द्वारा मतदान करने के इच्छुक हों, वे कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.religare.com के “Investors Relations” सेक्शन से अथवा कार्बी कन्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात https://evoting.karvy.com से पोस्टल बैलट प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं अथवा कंपनी के पास आवेदन कर उसका डुप्लिकेट प्राप्त कर सकते हैं। सदस्यों के माताधिकार की गणना 3 जून, 2016 जो अभिलिखित तिथि है, को शेयरों के प्रदत्त मूल्य पर की जाएगी। जो व्यक्ति अभिलिखित तिथि को सदस्य नहीं है, वे इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से देखें। लेकिन, विधित पूर्ण एवं हस्ताक्षरित डुप्लिकेट पोस्टल बैलट प्रपत्र अधिकतम ऊपर निर्दिष्ट तिथि तक पर्यवेक्षक के पास पहुंच जाना चाहिए।	
यदि किसी व्यक्ति को ई-वोटिंग सहित मतदान से संबंधित कोई प्रश्न/ शिकायत हो, वे investor-services@religare.com पर संपर्क करें अथवा श्री वर्गीज पी ए, जौनल हेड- कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, कार्बी कन्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्बी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाँधिबाउली, फाइर्नॉसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकारमगुडा, हैदराबाद- 500032 से + 91 040 67161500 पर अथवा 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क करें अथवा einward.ris@karvy.com पर ई-मेल करें।	
	निदेशक मंडल के आदेश से रेलिगेअर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए हस्ता./- मोहित माहेयगी कंपनी सचिव
तिथि: 17 जून, 2016 स्थान: नई दिल्ली	

केरल में हिंसा, रविशंकर ने जेएनयू मुद्दा उठाया



तिरुवनंतपुरम, 16 जून (भाषा)। जेएनयू विवाद पर केंद्र का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि भारत के खिलाफ किसी तरह की आलोचना को सहन नहीं किया जाएगा। माकपा द्वारा की गई चुनाव पश्चात हिंसा के कथित शिकारों के एक आयोजन को यहां संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जेएनयू विवाद इसलिए उभरा क्योंकि आंदोलन कर रहे छात्रों ने संसद पर हमले के मामले को मुख्य दोषी अफजल गुरू के समर्थन में नारे लगाए। उन्होंने कहा, ‘मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेएनयू मुद्दे पर भाजपा का क्या रुख है। जेएनयू परिसर में लोगों ने नारे लगाए..भारत की बर्बादी तक, जंग रहेगी, जंग रहेगी।’ प्रसाद ने कहा, ‘उन्होंने अन्य नारा लगाया, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं।’ उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या वह जानते हैं कि अफजल गुरू कौन था। अफजल संसद पर हमले के मामले का मुख्य दोषी था जो पाकिस्तान से आया था।

गुरू तथा अन्य को निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया है। यहां तक कि राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका को ठुकरा दिया। और अब आप कह रहे हैं कि अफजल के हत्यारे जिंदा हैं और हम शर्मिंदा हैं।’ उन्होंने यह भी कहा कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह की निंदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘आप भाजपा की आलोचना कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर सकते हैं। आप अन्य नेताओं की आलोचना कर सकते हैं। किन्तु भारत की आलोचना सहन नहीं की जाएगी। और हम इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं।’ प्रसाद ने भारत माता की जय से संबंधित नारे लगाने के हालिया विवाद की भी चर्चा की। उन्होंने कहा, ‘अरे, यह सब क्या है। आखिरकार भारत में आप भारत माता की जय नहीं कहेंगे। कोई मजबूरी नहीं है। किंतु भारत माता का सम्मान दिल से होता है। हम इसे लेकर बहुत स्पष्ट हैं।’

यूनियन बैंक <small>the first</small>	Union Bank <small>of India</small>
<p>करोल बाग शाखा 10184, आर्य समाज रोड, दिल्ली-110005, फोन सं. 011-28753803/28757660 [नियम-8 (1)]</p> <p>कच्चा सूचना</p>	
<p>जैसा कि, वित्तीय परिसंपर्चियों के प्रतिवृत्तिरूप एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (द्वितीय) प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 3 के अंतर्गत 10184, आर्य समाज रोड, करोल बाग-110005 में स्थित यूनियन बैंक आफ इंडिया, करोल बाग शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 29.02.2016 जारी कर ऋणधारक नै. राम चंद्र बाबू/पार्टर्स नंद एंड के., पंजी. कार्यालय: वी-92, डब्ल्यूएचएस, कॉर्निंग नगर, दिल्ली-110015 तथा गार्डन/पार्टर्स श्री राधा रमण गुप्ता तथा श्रीमती स्नेह रमण गुप्ता, दोनों निवासी आई-61, साउथ रिटो (फेज-1), गुडगांव, हरियाणा- 122001 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,95,30,765.32 (रुपए दस करोड़ पन्चासवे लाख तीस हजार सात सौ पैंसठ तथा पैसे बत्तीस मात्र) तथा लाहू होने बाबु दर पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक पार्टर्स तथा गार्डर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कमनी सं 10.06.2016 की अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।</p>	
<p>विविध रूप से ऋणधारकों/ गार्डर्स तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूक्त किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय न करें, 2,04,76,708.44 (रुपए दस करोड़ चार लाख छिन्नार हजार सात सौ आठ तथा पैसे चौबालीस मात्र) 31.05.2016 को तथा उस पर ब्याज एवं लागत के लिए 10184, आर्य समाज रोड, करोल बाग- 110005 में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, करोल बाग शाखा के चार्ज के अधीन होगा।</p>	
<p>अचल संपत्ति का विवरण</p> <p>श्रीमती स्नेह रमण गुप्ता तथा श्री राधा रमण गुप्ता के व्वालिफ व निवासीय मकान सं. आई-61, साउथ रिटो- फेज-1, गुडगांव, हरियाणा- 122001, माप 420.00 वर्ग मी.</p>	
<p>चौहद्दी इस प्रकार है: उत्तर : सड़क दक्षिण : संपत्ति सं. आई-56 पूर्व : संपत्ति सं. आई-62 पश्चिम : संपत्ति सं. आई-60 तिथि: 10.06.2016 स्थान: गुडगांव</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत अधिकारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, करोलबाग शाखा</p>	

न्यूविलियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	
सॉफ्टवेयर : L74899DL1989PLC0034584	
पंजीकृत कार्यालय : 230-35 चन्गारज मार्केट, नई दिल्ली-110003	
टेलीफोन नं. : +91-120-40314100/0958। +91-120-4031672	
ई-मेल : investorrelations@nucleussoftware.com	
वेबसाइट : www.nucleussoftware.com	
वार्षिक साधारण बैठक, पुस्तक बन्दी तथा ई-वोटिंग की सूचना	
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कमनी की 27वीं वार्षिक साधारण बैठक शुक्रवार 8 जुलाई 2016 को सुबह 11:30 बजे श्री सत्य हाई इंटरनेशनल सेंटर, प्रयोग विहार, लॉदी रोड, नई दिल्ली - 110003 में 2 जून 2016 दिनांकित सूचना जिसकी प्रति कमनी को सदस्यों को कमनी में उनके एजीकृत उम्मेक पते /ईमेल पत्र भेजी जा चुकी है, में निर्दिष्ट व्यवसायों की सम्मदान हेतु आयोजित की जायेगी।	
कम्पनी (प्रधान रूप संचालन) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 94(4) के अनुपालन में कमनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तक जातित्वार 2 जुलाई 2016 से सुक्रुधर 8 जुलाई 2016 (दोनों दिवस शामिल) तक बन्द रहेगी।	
एतद् द्वारा आम सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रधान रूप संचालन) नियम, 2014, तथा संचालित/की नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्राधान्यों एवं नीचे (सूचीयत) दलित्व एवं कस्टडीकरण (आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 44 के अनुपालन में कमनी 27वीं वार्षिक साधारण बैठक में अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान हेतु उपेक्षक का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है एवं व्यवसाय का सम्मदान ई-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है। सदस्यों को, एजीएम समारोह स्थल से अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली का प्रयोग कर मतदान की सुविधा (रिमांट ई-वोटिंग), कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही है।	
ई-वोटिंग निर्देश वार्षिक साधारण बैठक का अभिेन हिस्सा है जो कि कमनी की वेबसाइट www.nucleussoftware.com पर भी प्रदर्शित है।	
ख) वार्षिक साधारण बैठक की सूचना कमनी के सदस्यों को कमनी के साथ पंजीकृत उनके पते /ईमेल पर 14 जून 2016 को भेजी जा चुकी है।	
ग) यह व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों/स्वामियों/स्वामियों के रजिस्टर में कट जाँच तिथि 31 जुलाई 1 जुलाई 2016 को प्रवर्तित होगा, वह रिमांट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ ही बैठक में मतदान करने के इच्छाकर होंगे।	
घ) रिमांट ई-वोटिंग पॉटल सॉलमवार 4 जुलाई 2016 को प्रात 10 बजे से बृहस्पतिवार, 7 जुलाई 2016 को राध्या 5 बजे तक खुलेगा। ई-वोटिंग की अनुमति कवर लिखित निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात नहीं होगी।	
ण) ऐसा कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना के प्रेषण के पश्चात कमनी का सदस्य बनता	